न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2024 दायर दिनांकः 06.03.2024

उनवान

1. भैरूलाल पिता कन्हीराम जाति धाकड़ नि. सेमला तहसील सुनेल
2. जानकीलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड़ नि. सेमला तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द पिता भैरूलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
2. दिनेश पिता प्रकाशचन्द जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
3. प्रहलादसिंह पिता प्रकाशचन्द जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुनेल जरिये मेनेजर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील प्रतिवादीगण — एकतरफा

निर्णय दिनांक : 11.02.2025

हस्तगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजी का विवरण इस प्रकार है—(अ) खातेदार भैरूलाल पिता कन्हीराम ग्राम सेमला खाता संख्या नया 291 पुराना 268 खसरा संख्या 1163/869 क्षेत्रफल 0.1518 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 290 पुराना 267 खसरा संख्या 869 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 के अनुसार दर्ज आराजी स्थित हैं। (ब) खातेदार जानकीलाल पिता भैरूलाल ग्राम सेमला खाता संख्या नया 113 पुराना 99 खसरा संख्या 1266/209 क्षेत्रफल 1.0876 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1268/213 क्षेत्रफल 1.0244 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1269/210 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1271/869 क्षेत्रफल 0.759 हैक्टेयर, कुल खसरा किता 0 कुल क्षेत्रफल 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4155 हैक्टेयर जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार दर्ज आराजी स्थित हैं। खातेदारी में दर्ज हैं।

यह कि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज स्थित आराजी कुल खसरा किता 04 कुल क्षेत्रफल 1.4669 हैक्टेयर स्थित हैं। इस क्षेत्रफल आराजी में से खसरा संख्या 1160/869 क्षेत्रफल 0.0506 हैक्टेयर भूमि बाबत् विवाद हैं। यह कि खसरा संख्या 1163/869 क्षेत्रफल 0.1518 हैक्टेयर, खसरा संख्या 869 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1271/869 क्षेत्रफल 0.0759 हैक्टेयर यह भूमि आराजी वादीगण की खातेदारी में है तथा खसरा संख्या 1160/869 क्षेत्रफल 0.0506 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की खातेदारी में हैं। उक्त चारो खसरा नम्बरान का भूमि नक्शा वाद के साथ सलग्न है तथा राजस्व रिकॉर्ड भी वाद के साथ सलग्नं हैं। यह कि प्रतिवादीगण वादीगण से रंजीश रखते है तथा वादीगण को हर समय, हर प्रयास से नुकसान पहुँचाने की नियत से कार्य करते रहते हैं। वाद के चरण क्रमांक 03 में वर्णित आराजी में वादीगण फसल की बुवाई कर रखी हैं। इस आराजी में प्रतिवादीगण जानबुझकर नुकसान पहुंचाकर वादीगण के हक हिस्से कब्जे की भूमि में प्रवेश कर ट्रैक्टर, पैदल, मजदूर आदि से आराजी में प्रवेश कर फसलो को नुकसान पहुँचाते हैं। वादीगण के रोकने तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा पर अमादा होकर प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती रास्ता बनाने को अमादा हैं। इस कारण वादीगण को वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 1160/869 मेन रोड़ पर स्थित होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी में जबरदस्ती रास्ता बनाकर प्रतिवादीगण लड़ाई–झगड़ा करने को अमादा हैं। प्रतिवादीगण की आराजी पर पहुँचने के लिए डामर सड़क सेमला से छीतरखेड़ा पर रास्ता मौजूद है जो सड़क से सीधा प्रतिवादीगण खसरा संख्या 1160/869 रकबा 0.0506 पर पहुँचता हैं जिसे प्रतिवादीगण ने जानबूझकर बन्द कर वादीगण की आराजी में निकलते हैं। वादीगण की आराजी पर वादीगण ने खसरा संख्या 1271/869 पर तार–खम्भे लगा रखे है जिन्हे नुकसान पहुंचाकर तारों को तोड़कर ट्रैक्टर अन्दर ले जाकर फसलो को नुकसान पहुँचाते हैं। जिनके फोटोग्राफ्स वाद के साथ पेश हैं। इस स्थान पर प्रतिवादीगण का रास्ता नहीं है। इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण की आराजी में खड़ी फसल में नुकसान कारित होता हैं। यह नुकसान जान बुझकर किया जाता है जिसे रोकने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हैं। यह कि प्रतिवादी नं. 04 बैंक को तकमील पक्षकार बनाया गया है। इनके विरूद्ध वादीगण राहत की मांग नहीं करते हैं। पक्षकार बनाने का कारण जमाबन्दी में बैंक का नाम दर्ज होना तथा तकनिकी भूल ना हो इस कारण पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी नं. 05 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया हैं। यह कि वाद कारण लगभग 04 माह पूर्व से निरन्तर बना हुआ हैं। जब प्रतिवादीगण ने वादीगण के दर्ज आराजी में वाद के चरण कमांक 03 में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण जानबुझकर ट्रेक्टर, पैदल, मजदूर आदि से आराजी में प्रवेश कर फसलो को नुकसान पहुँचाते हैं। वादीगण के रोकने तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा पर अमादा होकर प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती रास्ता बनाने को अमादा है। इस कारण वादीगण को वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं। यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी ग्राम सेमला पटवार हल्का सेमला तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि वादीगण वाद पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते है कि

(अ) बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कर ग्राम सेमला पटवार हल्का सेमला तहसील सुनेल में स्थित आराजी वाद के चरण कमांक 03 में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजी में प्रतिवादीगण बेजा मदाखलत, बेजा मजाहमत नहीं करे, वादीगण की फसल को नष्ट नहीं करे, ट्रैक्टर–ट्रॉली, कृषि औजार, जानवर आदि वादीगण की आराजी में प्रवेश नही करावे तथा स्वयं भी प्रवेश नहीं करे ओर ना ही नया रास्ता बनाये इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित एवं आवश्यक हो वादी को माननीय न्यायालय से प्रदान की जावें।

(स) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.08.2024 प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एवं मुताबिक आदेशिका दिनांक 10.10.2024 प्रतिवादी सं. 4 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सेमला का खाता सं. 290 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, खसरा नक्शा दिनांक 28.02.2024 प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3, ग्राम सेमला का खाता सं. 291 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, खसरा नक्शा दिनांक 28.02.2024 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6, ग्राम सेमला का खाता सं. 113 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7, खसरा नक्शा दिनांक 28.02.2024 प्रदर्श–8, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–9, ग्राम सेमला का खाता सं. 185 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10, खसरा नक्शा दिनांक 28.02.2024 प्रदर्श–11, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–12, फोटोग्राफस प्रदर्श 13 से 17 पेश किये एवं भेरूलाल व जानकीलाल के आधारकार्ड की छायाप्रतियां पेश की। साक्ष्यवादी में भेरूलाल पि. कन्हीराम, जानकीलाल पि. भेरूलाल व शिवलाल पि. श्रीराम के PW-1 To 3 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण सेमला प.म. सेमला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1163/869 क्षेत्रफल 0.1518 है., ख.नं. 869 क्षेत्रफल 0.1265 है. व ख.नं. 1271/869 क्षेत्रफल 0.759 है. के रिकार्डेड कृषक है जबकि ख.नं. 1158/210, 1159/591, 1160/869 व 1265/209 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिादीगण की भूमि से लगवा आम सडक ख.नं. 763 रकबा 0.2909 है [illegible] है लेकिन प्रतिवादीगण अपनी आराजी ख.नं. 1160/869 तक आने जाने के मु[illegible] सडक की बजाय वादीगण की आराजी ख.नं. 869 व 1271/869 [illegible]कर जबरन रास्ता बनाकर वादीगण की तार खम्भे [illegible] आमदा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जिससे वादीगण की फसल खराब हुई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जब मना किया गया तो वे लडाई झगडे पर आमदा हुए। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि – वे बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादीगण की आराजी में दखल नहीं दे और न ही कोई रास्ता कायम करें।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं है।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सेमला की आराजी ख.नं. 869, 1163/869 व 1271/869 किता 3 की जमाबंदी सं. 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि वादीगण के सहखाते दर्ज रिकार्ड है अर्थात वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है जबकि ख.नं. 1158/210, 1159/591, 1160/869 व 1265/209 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सं. 2076 प्रदर्श 3, 6, 9, 12 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण कब्जे काश्त है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम सेमला के ख.नं. 763 की जमाबंदी के अनुसार यह भूमि गे.मु. रास्ता के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा पेश फोटोग्राफस प्रदर्श 13 से 17 दिनांक 01.03.2024 के अवलेकान से भी जाहिर होता है कि ख.नं. 763 से होकर डामर सडक बनी हुई हैं और मौके पर चालू है। वादीगण द्वारा पेश वादग्रस्त भूमियों के खसरा नक्शा दिनांक 28.02.2024 प्रदर्श 2, 5, 8 व 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिादीगण की आराजी ख.नं. 1160/869 मुख्य डामर सडक ख.नं. 763 से लगवा है और पहूॅच हेतु सुलभ है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि ख.नं. 869 एवं 1271/869 में होकर जबरन रास्ता बनाकर फसल खराब करना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा पेश स्वप्रमाणित फाटोग्राफस दिनांक 01.03.2024 प्रदर्श 13 से 17 के अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा मुख्य सडक से अपनी आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तक सुलभ पहूँच उपलब्ध होने के बावजूद भी वादीगण की भूमि ख.नं. 869 व 1271/869 में होकर रास्ता बनाने पर आमदा है।

7. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह PW-3 शिवलाल पि. श्रीराम द्वारा शपथ कथन किया गया है कि वादीगण की ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1163/869, ख.नं. 869 भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा जान बूझकर नुकसान पहूँचाकर वादीगण के हक, हिस्से व कब्जे की भूमि में ट्रेक्टर, पैदल, मजदूर आदि से आराजी में प्रवेश करवाकर फसलो को नुकसान पहूँचाते है जबकि प्रतिवादीगण की आराजी ख.नं. 1160/869 मेन रोड पर स्थित है तथा इस आराजी भाग पर प्रतिवादीगण का रास्ता मुख्य सडक से पहूँचता है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को मना करने पर वह लडाई झगडा करने पर आमदा होते है। वादी PW-1 & PW-2 ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है और सं. 2076 में कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) रास्ता कायम करने पर आमदा है। अतः प्रतिवादी सं. 1 से 3 अतिक्रमी है। **प्रतिवादीगण के जबरन रास्ता कायम करने से वादीगण की फसल व भूमि दोनो खराब होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है।** प्रतिवादीगण को वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी से होकर जबरन रास्ता कायम करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर **पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी।** प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा [illegible] .एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सेमला के ख.नं. 869 क्षेत्रफल 0.1265 है. व ख.नं. 1271/869 क्षेत्रफल 0.759 है आराजी के संबंध में वादीगण का वाद धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार करने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सेमला की वादीगण की आराजी ख.नं. 869 एवं 1271/869 में होकर न तो नवीन रास्ता कायम करें और न ही बेजामजाहमत करें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/25

(दिनेश [illegible] आरएएस)

[illegible] अधिकारी

जिला [illegible] राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मिज ________X__________ मुवालिक ________X________ बाबत् खर्चा इस मुकदमे के सूद बशरह ___X_________________ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ________X______ ________ अदा करेगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई		मुद्दालेह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नामा	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुक्मनामा
स्टाम्प कागज सबूत	बाबत् इजराय हुक्मनामा	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी.पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2024 दायर दिनांकः 06.03.2024

उनवान

1. भैरूलाल पिता कन्हीराम जाति धाकड़ नि. सेमला तहसील सुनेल
2. जानकीलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड़ नि. सेमला तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द पिता भैरूलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
2. दिनेश पिता प्रकाशचन्द जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
3. प्रहलादसिंह पिता प्रकाशचन्द जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुनेल जरिये मेनेजर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —

वकील वादीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत

वकील प्रतिवादीगण — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....x.....

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पावंद किया जाता है कि वे ग्राम सेमला की वादीगण की आराजी ख.नं. 869 एवं 1271/869 में होकर न तो नवीन रास्ता कायम करें और न ही बेजामजाहमत करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राजि०

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner